न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 103/2024

जीसीएमएस मु.न. 2024/232

अनवान

1. मणी देवी पुत्री चिमना पत्नी आसुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी पृथ्वीमेड़ा, तहसील सांचौर।

वादीया.......

1. प्रभुसिंह पुत्र चिमना जाति रावणा राजपूत निवासी पृथ्वीमेड़ा तहसील सांचौर।
2. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांचौर

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 40,53,88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

तारीख रजुः– 13.11.2024

1. श्री जयप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता वादीया।
2. प्रतिवादीगण 1 से 3 बाद तामिल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.05.2025

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 40,53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादी के पिता चिमना पुत्र काना के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पृथ्वीमेड़ा के खाता संख्या 17 जिसके पुराने खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 12 बीस्वा, खसरा नंबर 16 रकबा 69 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नंबर 20 रकबा 7 बीघा 10 बीस्वा, जुमले रकबा 150 बीघा 10 बीस्वा संयुक्त खातेदारी रामा, त्रिकमा, चिमना पुत्र काना के नाम से प्रथम मिसल बन्दोबस्त सवत् 2012 से 2031 में दर्ज सुदा आई हुई है जिसमें वादीया चिमना के पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में जन्म से हिस्सा है। पुराने खेत खसरा नंबर 26 रकबा 22 बीघा 13 बीस्वा व पुराने खेत खसरा नंबर 16 रकबा 69 बीघा जिनके नये खसरा नंबर 22 रकबा 3.66 हेक्टर खसरा नंबर 46 रकबा 4.92 हैक्टर व खसरा नंबर 49 रकबा 0.29 हैक्टर जुमले रकबा 8.87 हैक्टर वादीया व प्रतिवादी प्रभुसिंह के पिता चिमना के हिस्से में खातेदारी भूमि बंटवाड़े में आई उवत खसरा नं[illegible] आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादीया के पिता चिमना की मृत्यु हो[illegible] के बा[illegible]मना के नाम से आयी खातेदारी भूमि में चिमना समस्त उत्तराधिकारीयों [illegible] जरीये नामांतकरण दर्ज करना था वादीया अनपढ ग्रामीण महिला होने से व सामाजिक बंदीशों में होने से व[illegible] प्रभुसिंह पढा लिखा होने से कागजी कार्यों में होशियार होने से व परिवार में समस्त कार्य प्रभुसिंह द्वारा किया जाने से प्रभुसिंह ने चालाकी कर पटवारी राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर चिमना

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के खातेदारी भूमि का नामांतकरण यह जानते हुए की वादीया मेरी सगी बहन है व चिमना के उत्तराधिकारी है परंतु पटवारी के साथ मिलावट कर मैरा नाम उत्तराधिकारी में दर्ज नही करवाकर मैरी माता धापू देवी व प्रभुसिंह के नाम से वादग्रस्त आराजी में नागांतकरण दर्ज करवा दिया व मेरी माता धापू देवी की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का अपने अकेले के नाम नामांतकरण दर्ज करवा लिया। वादीया चिमना की पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में चिगना की खातेदारी भूमि वादीया का जन्म से हक व हिस्सा है वादीया आज भी वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से पर काश्त कर रही है। वादीया को किसान समान निधि में अपनी खातेदारी भूमि का आवेदन आनलाईन करने के लिए जमाबंदी की आवश्यकत्ता होने पर आज से 20 रोज पूर्व पटवारी हल्का हाडेतर के पास गयी एवं अपने खेत की जमाबंदी पटवारी हल्का को देने का निवेदन किया जिस पर पटवारी ने मैरे खाते की जमाबंदी देकर मुझे बताया की आपके नाम से कोई जमीन राजस्व रेकर्ड में नहीं है जिस पर मैने पटवारी को कहा की मैं चिमना की पुत्री हूं मैरे पिता के नाम की खातेदारी भूमि ग्राम पृथ्वीमेड़ा में है जिस पर पटवारी ने देखकर बताया आपके खाते में नाम नहीं है केवल प्रभुसिंह पुत्र चिमना के नाम की खातेदारी में नाम दर्ज है जिस पर पटवारी द्वारा बताई बात को सुन कर मैरे पैरो तले जमीन खिसक गई एवं गैरे भाई प्रभुसिंह हम इतना विश्वास करते है एवं पढ़ा–लिखा है एवं कागजों का जानकार होने से एवं घर का मुख्य कर्ता धर्ता होने से उसका अनुचित फायदा उठाकर एवं मुझ वादीया एक अनपढ गांव की महिला होने से एवं सामाजिक रुढी से महिलाओं का घर से बाहर नही जाने का अनुचित फायदा उठाकर अपने नाम गैरे पिता के खातेदारी भूमि जो वाद में वादग्रस्त आराजी है जो गलत रूप से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा दिया। जिस पर जानकारी से दावा अन्दर म्याद है। वाद के तीन मूलभूत आधार स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति वादीया के पक्ष में क्योंकि वादग्रस्त आराजी वादीया के पिता चिमना की खातेदारी भूमि थी जिसमें चिमना की मृत्यु होने से वादीया के नाम से नामांतकरण दर्ज करना था जो प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर वादीया को अपनी खातेदारी भूमि से वंचित करने के लिए खातेदारी में नाम दर्ज नहीं किया इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादीया के पक्ष में यदि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर वादीया को अपनी खातेदारी भूमि कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति वादीया को होगी इसलिए वाद के तीन मूलभूत आधार स्तम्ब वादीया के पक्ष में है। विनायवाद वादीया चिमना जायंदा पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में वादीया का जन्म से हक व हिस्सा है वादीया के पिता की मृत्यु होने पर वादीया के नाम से जरीये नामांतकरण वादीया का नाम वादग्रस्त खातेदारी में दर्ज करना था जो नही किया एवं आज से 20 रोज पूर्व वादीया पटवारी हल्का हाडेतर के पास किसान समान निधि के लिए आवेदन के लिए जमाबंदी की आवश्यकता [illegible] पटवारी के पास गयी जिस पर पटवारी द्वारा यह जानकारी देने [illegible] वादीया का नाम नहीं है तब विनायवाद पैदा हुआ इसलिए जानकारी से दावा अन्दर [illegible] पेश है। जानकारी से दावा अन्दर म्याद पेश है अतः निवेदन है कि वादीया का वाद स[illegible]र फरमाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा विभाजन एवं खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए बावजूद प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 3 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया मौजा पृथ्वीमेंडा के पुराना खसरा संख्या 26 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा व पुराना खसरा संख्या 16 रकबा 69 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 22 रकबा 3.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 4.92 हैक्टेयर व खसरा संख्या 49 रकबा 0.29 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.87 हैक्टेयर भूमि वादीया के पिता चिमना की खातेदारी भूमि होने से वादीया चिमना की खातेदारी भूमि 1/2 हिस्सा जन्म सक होने से वादग्रस्त आराजी वादीया के पिता चिमना के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात् 4.435 हैक्टेयर भूमि की वादीया खातेदारी घोषणा की डिक्री पाने की हकदार है।

(जिम्मे वादीया)

2. आया वादीया के बंट में आई भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 न तो दखलंदाजी स्वयं करें वन ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से बिना विभाजन करावये बैचान हस्तातरण नहीं करे तथा किसी अन्य पक्षकार को कब्जा हस्तातरित नहीं करें। इस आशय की वादीया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार है।

(जिम्मे वादीया)

3. आया वादीया अपने बंट एवं कब्जे हिस्से अनुसार बंटवाडा की डिक्री पाने की हकदार है।

(जिम्मे वादीया)

4. प्रकरण में वादीया की और से गवाह पीडब्ल्यू–1 मणी देवी ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ–पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी की मिसल बंदोबस्त प्रदर्थ–1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्थ–पी 2, द्वितीय मिसल बंदोबस्त प्रदर्थ पी–3, जनआधार कार्ड प्रदर्थ पी–4, जिसकी फोटो प्रति पी–4ए, वर्तमान जमाबंदी प्रदर्थ पी–5 पेश कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये वादीया की और से गवाह पीडब्ल्यू–2 पदमसिंह का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया।

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया मृतवफी चिमना वल्द काना की पुत्री है तथा वादग्रस्त आराजी वादीया की पैतृक सम्पति है तथा चिमना के एक पुत्र प्रभूसिंह प्रतिवादी संख्या–1 तथा वादीया मणी देवी चिमना की जायंदा पुत्री है वादग्रस्त आराजी वादीया की पैतृक संपति होने से उक्त आराजी में वादीया का स्व. चिमना वल्द काना के हक की भूमि में वाम वर्थ 1/2 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बनता है किन्तु वादीया अनपढ ग्रामीण महिला है [illegible] प्रतिवादी संख्या–1 पढा–लिखा होने से चिमना की फौतेदगी के [illegible] उक्त वादग्रस्त आराजी पुरी की पुरी अपने नाम करवा ली। विद्वान अधिवक्ता ने खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि मौजा प्रथ्वीमेड़ा के पुराने खेत खसरा नंबर 22, खसरा नंबर 16, खसरा नंबर 26, 19, 20 जुमले रकबा 150 बीघा 10 बिस्वा की आई हुई है। जिसमें वादीया के स्व. पिता चिमना वल्द काना का 1/3 हिस्सा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

है तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उपरोक्त आराजी के नवीन खेत खसरा नंबर 22, 46, 49 जुमले रकबा 8.87 हैक्टेयर नवसृजित हुए जिसमें वादीया 1/2 हिस्सा पाने की कानूनन हकदार होने से उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी की डिक्री वादीया के पक्ष में सादिर की जावें।

6. प्रकरण का तनकीयात निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी संख्या 1 :– उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर होने से इस संबंध में वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होना प्रथम मिसल बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रदर्थ पी–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्थ पी–2 द्वितीय आधार जमाबंदी तथ्य वर्तमान जमाबंदी पेश कर प्रदर्शित करवाया। वादीया चमना वल्द काना की पुत्री होना भी जनआधार प्रदर्श पी–4 पेश किया। अतः वादग्रस्त आराजी वादीया की पैतृक संपति होना तथा वादीया मृतक चिमना वल्द काना की पुत्री वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, से बखूबी संबंधित होने से तनकी संख्या –1 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर होने से इस संबंध में वादीया ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र बयानो में बताया कि वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्से की भूमि पर मुझ वादीया का काश्त कब्जा है किन्तु भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी मुझ वादीया को किसी अजनबी व्यक्ति को मेरे हक की भूमि बैचान कर मुझे बेदखल करने पर आ गया है दूसरे समर्थन में वादीया द्वारा गवाह पीडब्ल्यू –2 पदमसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये। अतः वादग्रस्त आराजी वादीया की पैतृक संपति होना साबित होने से तथ्य वादीया 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी हक पाने की अधिकारिणी होने से वादीया द्वारा उक्त तनकी संख्या–2 साक्ष्य व सबुतों द्वारा साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से तनकी संख्या 2 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर है, किन्तु वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा के संबंध में वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजी में से कौनसी भूमि वादीया के बंट में है न ही वादीया द्वारा ऐसा कोई नजरी नक्शा पेश किया गया है वादीया द्वारा वाद में अपनी इस्तदुआ में बंटवाडा के संबंध मं मात्र यह अनुतोष चाहा है कि भूमि राजरव रेकर्ड में अलग से दर्ज की जावे किन्तु कानूनन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि वादीया के खातेदारी में दर्ज नहीं होने से कानूनन हक प्राप्त करने से पूर्व कोई भी पक्षकार बंटवाडा करवाने का अधिकारी नहीं होने से तनकी संख्या–3 वादीया अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहने से तनकी संख्या–3 वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीया की बहस पर [illegible] गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति [illegible] उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से तनकी संख्या–1 [illegible] तनकी संख्या 3 वादीया के विरूद्ध निर्णित होने से वादीया की और से प्रस्तुत वाद आं[illegible] रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अनवान मणीदेवी बनाम प्रभूसिंह
मुकदमा नम्बर 103/2024
निर्णय तारीख:– 28.05.2025

–:आदेश:–

परिणामस्वरूप मौजा पृथ्वीमेड़ा के वर्तमान खेत खसरा संख्या 22 रकबा 3.66 हैक्टेयर खसरा संख्या 46 रकबा 4.92 हैक्टेयर खसरा संख्या 49 रकबा 0.29 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.87 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 सादिर की जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर की जाती है कि वह वादीया के 1/2 हिस्से की भूमि व कब्जे काश्त में न तो स्वंय दखलंदाजी करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित की जाकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर ज़िला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner